न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 213/2018

1. हंसराज पुत्र बालू
2. रामकुंवार पुत्र सुगना
3. सोजीराम पुत्र कालूराम
4. रतनलाल पुत्र मांगीलाल
5. घीसालाल पुत्र किशन
6. गंगाराम पुत्र सेवाराम
7. लालाराम पुत्र सेवाराम
8. हीरालाल पुत्र कालूराम

समस्त जाति गुजर निवासीगण बाढ़न तहसील देवली जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर
2. जयशंकर पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज कानावत एडवोकेट वादीगण
2. श्री लक्ष्मीचन्द मीणा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

पीठासीन अधिकारी :– श्री शंकरलाल सैनी (R.A.S.)

निर्णय

दिनांक 14.6.19

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता [illegible] वाद पत्र अ[illegible] 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग[illegible] [illegible]दाकलां तहसील केकडी जिला अजमेरं स्थित जमाबन्दी सं. 2041 के [illegible]संख्या 1 में [illegible] खसरा नं. 1301/3 बा.2 में दर्ज आराजी कुल रकबा 8 बीघा भूमि जो कि जरिये नाम[illegible] संख्या 448 दिनांक 20.03.2001 से ज[illegible]य पत्र क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

की गई भूमि है तथा क्रय दिनांक से आज दिनांक तक वादीगण के ही कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त आराजी से कोई वास्ता या सरोकार आदि नहीं हैं। किन्तु वह बदनीयतीवश वादीगण की क्रयशुदा आराजी में बाडा वगैरह बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा मना करने पर झगडा फसाद आदि करने पर आमादा हैं। जिससे परेशान होकर वादी ने यह वाद पेश किया हैं। जिसे स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराई जाने का निवेदन वादी ने प्रस्तुत वादपत्र में किया हैं।

हमनें वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 07.08.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 ने इकबाले जवाब कर निवेदन किया कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने में उसे कोई ऐतराज आदि नहीं है, लिहाजा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है--

बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी सं. 2041 के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नं. 1301/3 बा.3 में दर्ज आराजी कुल रकबा 8 बीघा भूमि जो कि जरिये नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 20.03.2001 से जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई भूमि है तथा क्रय दिनांक से आज दिनांक तक वादीगण के ही कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। प्रतिवादी का इस आराजी से किसी प्रकार का वास्ता या सरोकार आदि नहीं होते हुए भी वादग्रस्त आराजी की सीमाओं को लेकर आये दिन वादग्रस्त आराजी की सीमाओं का खुर्द बुर्द कर बाडा आदि बनाने पर आमादा है तथा मना करने पर विवाद आदि करने पर आमादा है, जिसके कारण वादी ने यह वाद पेश किया है जो स्वीकार योग्य बनता हैं।

बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने इकबाले जवाब पेश किया है, जिसमें वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने में कोई ऐतराज नहीं होना अपने जवाब के पैरा संख्या 3 में निवेदन किया हैं।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। वादीगण की क्रयशुदा आराजी होना वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों से जाहिर होता हैं। लिहाजा वादी का वाद पैमा फैसाई होने से वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता हैं।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत् 2041 वर्किंग के खाता संख्या 1 के खसरा नं. 1301/3 कुल रकबा 8 बीघा के जो भी नये नम्बर बने है उसकी पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराकर पत्थरगढी करवा पालना से न्यायालय हाजा को अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.19 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:46 IST
Reason: SelfAttested